राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1388 / 2012 / अलवर

वणिज्यिक कर अधिकारी
वाणिज्यिक कर विभाग,
वृत्त–अ, अलवर (राज.) .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मुखिजा ट्रेडिंग कम्पनी,
ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता ....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :२३ .01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिनको आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 236 / 2010 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2011 के अन्तर्गत कर रूपये 2,20,121 / – ब्याज रुपये 61,634 / – व शास्ति 4,40,242 / – कुल मांग राशि रुपये 7,21,997 / – को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी टायरों का क्रय विक्रय करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23, 24 के अंतर्गत दिनांक 02.02.2011 को पारित किया जाकर व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की प्रथम, द्वितीय, तिमाही बिक्री प्रपत्र वैट–10 विलम्ब से पेश किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अधीन शास्ति रुपये 1500 / – रुपये आरोपित करते हुये उसके द्वारा किये गये अवधि में की गई बिक्री पर 4 व 12.5 प्रतिशत से करारोपण करते हुये कुल कर रुपये 34,94,979 / – आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में कमीशन / डिस्कांउट के रुप में 1760970 / – प्राप्त करना दर्शाया है जिसको खरीद में क्रय करके विक्रय राशि कम दर्शायी जाने को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करवंचना किया जाना स्पष्ट किया गया। बाद सुनवाई व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किये जाने के उपरांत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(36) में दी गई विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रेता व्यवहारी द्वारा बिक्री उपरांत प्राप्त कमीशन को प्रत्यर्थी व्यवहारी की विक्रय राशि का भाग मानकर इस पर 12.5% से कर रुपये 220121 / – एवं ब्याज रुपये 61634 / – आरोपित करते हुये करापवचंन के फलस्वरुप अधिनियम की धारा 61 के अधीन शास्ति रुपये

लगातार............2

440242/— आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग राशियों को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की, जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी—विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बतलाया एवं तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कमीशन/डिस्काउण्ट विक्रेता व्यवहारी से पश्चातवर्ती में प्राप्त किया है अतः ex post facto प्राप्त राशि विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय मूल्य में समाहित होगी परन्तु व्यवहारी ने उक्त राशि को खरीद में से कम किया जाकर विक्रय राशि कम दर्शायी है एवं इस प्रकार करवचंना की गई है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नही है। तीन बार उपस्थित होने के लिए आवाजें दिलाई गई फिर भी कोई उपस्थित नही हुआ अतः एकपक्षीय निर्णय किए जाने का निर्णय लिया गया। राजस्व पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट जरिये क्रेडिट नोट प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए कर आरोपित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(36) में **'विक्रय मूल्य'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :—

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

7. प्रकरण में व्यवसायी ने अपने व्यापार खातें में विकेताओं द्वारा जारी केडिट नोट से डिस्काउण्ट की राशि को कम करके खरीद मूल्य दर्शाया है। कर निर्धारण अधिकारी ने शुद्ध खरीद पर ही आई.टी.सी. स्वीकार करते हुए अधिक ली गई आगत कर को रिवर्स किया है। अधिनियम की धारा 2(33) के अनुसार रिवर्स कर तभी किया जा सकता है, जब अधिनियम की धारा 18(1) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन हो। प्रत्यर्थी व्यहवारी द्वारा धारा 18(1) के प्रावधानों का उल्लंघन नही किया गया है। अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3A) दिनांक 09.03.2011 से नया प्रावधान जोडने से विधि निर्माताओं की इस

लगातार............3

आशय की मंशा स्पष्ट हो जाती है। तद्नुसार दिनांक 09.03.2011 के पश्चात आगत कर राशि, निर्गत कर से अधिक देर नही हो सकेगी। खरीद पर प्राप्त कमीशन/डिस्काउण्ट को प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता है।

8. माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय (2013) 35 Tax Update Page 29 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत ए अलवर बनाम मै. आर.एस. टायर हाऊस अलवर में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्यर्शी व्यवसायी ने माल का प्रथम विक्रेता व्यवहारी से डिस्काउण्ट प्राप्त किया है एवं जिस पर अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण II के प्रावधान लागू किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने घोषित विकय कीमत में से विकय के पश्चात किसी प्रकार का कोई डिस्काउण्ट/रिवेट/कमीशन/रिवार्ड प्रदान नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, न कि विक्रय मूल्य पर। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित विकय कीमत को मनमर्जी से बढाया जाकर करारोपण विधि सम्मत नहीं है। माननीय **कर बोर्ड के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी' उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी' जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रोनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट वॉल्यूम–1 पार्ट–1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत–ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

23.1.2017

(मदनलाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष